रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

कोर 4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली 110003

<u>कंपनी सचिवालय प्रभाग</u>

सं. सेक-**1/8(1)/2009/** दिनांक**: 26.5.2009**

<u>ऋण नीति परिपत्र-सं. **004/2009**</u>

विषय**:-** आवधिक ऋणों/ लघु अवधि ऋणों को उधार देने की दरें में परिवर्तन

संदर्भ सं. ऋण नीति परिपत्र सं. **003/2009** दिनांक **16** अप्रेल,**2009**

आरईसी के निदेशक मंडल की उप समिति ने 20 मई, 2009 को आयोजित अपनी 20वीं बैठक में <u>आवधिक ऋणों और लघु अवधि ऋणों के संबंध में उधार देने की दरों को संलग्न अनुबंध में दिए गए विवरण अनुसार तुंत प्रभाव से परिवर्तित करने की अनुमति दी है।</u>

2. परिवर्तित ब्याज दरें **20** मई, **2009** को या इसके बाद किए गए सभी संवितरणों पर लागू होगी।
3. **वृहत उत्पादन परियोजनाओं की परिभाषा और उधारकर्ताओं के श्रेणीकरण में भी संलग्न अनुबंध की टिप्पणी में दिए ब्यौरों अनुसार परिवर्तित किया है।**
4. ऋणों/स्कीमों के अन्य नियम एवं शर्तें वही रहेंगी, जैसी पहले सूचित की गई हैं।
5. आंचलिक प्रबंधक/मुख्य परियोजना प्रबंधक और कारपोरेट कार्यालय के मंजूरी पत्र जारीकर्ता अधिकारियों से अनुरोध है कि वे लागू ब्याज दरें और अन्य नियम एवं शर्तें सभी संबंधितों को विधिवत परिचालित करें और मंजूरी पत्रों में उचित तरीके से शामिल करें।

ह./

(बी.आर.रघुनंदन)
महाप्रबंधक **(**विधि**)** एवं कंपनी सचिव

संलग्नक**:** <u>अनुबंध</u>

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि.

अनुबंध

उधार देने की दरें 20.5.2009 से प्रभावी

(एलपीसी सं. 004/2009 दिनांक 26.5.2009)

I आवधिक ऋण

क्रम सं.	स्कीमें	राज्य क्षेत्र के उधारकर्ता (श्रेणी 'ए' एवं 'बी'), केंद्रीय क्षेत्र के उधारकर्ता, (अभिनिर्धारित केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों एवं ट्रिप्पल ए कंपनियों के अलावा)				राज्य क्षेत्र के उधारकर्ता (श्रेणी 'एउ") और (अभिनिर्धारित केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों और सभी ट्रिप्पल ए कंपनियां				प्राइवेट क्षेत्र के उधारकर्ता ग्रेड 1 से III				प्राइवेट क्षेत्र के उधारकर्ता ग्रेड IV				प्राइवेट क्षेत्र के उधारकर्ता ग्रेड V			
		प्रत्येक 3 वर्ष के बाद रिसेट के साथ		10 वर्ष के बाद रिसेट के साथ		प्रत्येक 3 वर्ष के बाद रिसेट के साथ		10 वर्ष के बाद रिसेट के साथ		प्रत्येक 3 वर्ष के बाद रिसेट के साथ		10 वर्ष के बाद रिसेट के साथ		प्रत्येक 3 वर्ष के बाद रिसेट के साथ		10 वर्ष के बाद रिसेट के साथ		प्रत्येक 3 वर्ष के बाद रिसेट के साथ		10 वर्ष के बाद रिसेट के साथ	
		पूर्व सीओडी	बाद सीओडी	पूर्व सीओडी	बाद सीओडी	पूर्व सीओडी	बाद सीओडी	पूर्व सीओडी	बाद सीओडी	पूर्व सीओडी	बाद सीओडी	पूर्व सीओडी	बाद सीओडी	पूर्व सीओडी	बाद सीओडी	पूर्व सीओडी	बाद सीओडी	पूर्व सीओडी	बाद सीओडी	पूर्व सीओडी	बाद सीओडी
		%प्रतिवर्ष		%प्रतिवर्ष		%प्रतिवर्ष		%प्रतिवर्ष		%प्रतिवर्ष		%प्रतिवर्ष		%प्रतिवर्ष		%प्रतिवर्ष		%प्रतिवर्ष		%प्रतिवर्ष	
क्र)	**आवधिक ऋण/स्कीमें**																				
1)	पारंपरिक उत्पादन वृहत	**11.50**	**11.25**	**11.75**	**11.50**	**11.25**	**11.00**	**11.50**	**11.25**	**11.75**	**11.50**	**12.00**	**11.75**	**12.00**	**11.75**	**12.25**	**12.00**	**12.50**	**12.25**	**12.75**	**12.50**
2)	उत्पादन-अन्य(गैर पारंपरिक को छोड़कर)ओ	**11.75**	**11.50**	**12.00**	**11.75**	**11.50**	**11.25**	**11.75**	**11.50**	**12.00**	**11.75**	**12.25**	**12.00**	**12.25**	**12.00**	**12.50**	**12.25**	**12.75**	**12.50**	**13.00**	**12.75**
3)	आरएंडएम, आरएंडयू,ट्रंसमिशन, वितरण और अन्य स्कीम	**11.50**		**11.75**		**11.25**		**11.50**		**11.75**		**12.00**		**12.00**		**12.25**		**12.50**		**12.75**	
4)	कंप्यूटरीकरण	**11.50**				**11.25**															
ख)	उपकरण विनिर्माताओं को ऋण																				
1)	1 वर्ष तक	**11.50**				**11.25**				**12.25**				12.25				12.25			
2)	1 से अधिक 3 वर्षों तक	**12.00**				**11.75**				**12.75**				12.75				12.75			

II लघु अवधि ऋण

क्र.	उधारकर्ता की श्रेणी	एसटीएल के लिए 1 वर्ष तक ब्याज दर मासिक रेस्ट के साथ (% प्रतिवर्ष)	एसटीएल के लिए 1 वर्ष से अधिक 3वर्ष तक ब्याज दर मासिक रेस्ट के साथ (% प्रतिवर्ष)
1.	**केंद्रीय क्षेत्र के उधारकर्ता,/अभिनिर्धारित केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम /राज्य क्षेत्र श्रेणी ' ए+ "**	9.50	10.00
2.	**राज्य क्षेत्र के उधारकर्ता-श्रेणी "ए+" एवं " बी ' और अन्य सीपीएसयू**	9.75	10.25
3.	**राज्य क्षेत्र के उधारकर्ता-श्रेणी "सी" एवं प्राइवेट क्षेत्र के उधारकर्ता ("एएए")**	10.00	10.50
4.	**प्राइवेट क्षेत्र के उधारकर्ता "एएए" के अतिरिक्त**	10.25	10.75

टिप्पणी:

1. उपर्युक्त दरें तिमाही बकाया आधार पर प्रभावी दरें हैं। ये दरें एसटीएल में मासिक आधार पर लागू नहीं होंगी, क्योंकि इनकी दरें मासिक बकाया आधार पर हैं।
2. **अभिनिर्धारित** केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों में एनटीपीसी,एनएलसी,डीवीसी,एनएचपीसी,एनपीसीआईएल,पीजीसीआईएल,एसजेवीएनएल,टीएचडीसी अथवा निगम द्वारा समय समय पर चिन्हित कोई अन्य एनटिटि
3. कंप्यूटरीकरण के लिए ऊपर उल्लिखित दरें एएए प्राइवेट क्षेत्र के उधारकर्ताओं पर लागू नहीं होती हैं।
4. उपर्युक्त संशोधित ब्याज दरें 20 मई , 2009 को अथवा इसके बाद किए गए सभी संवितरणों पर लागू होगी।
5. उपर्युक्त ए(1) में दी गई वृहत उत्पादन परियोजनाओं की परिभाषा अब संशोधित कद दी गई है ताकि राज्य/केंद्रीय क्षेत्र के उधारकर्ताओं और प्राइवेट क्षेत्र के उधारकर्ताओं दोनों को 500 करोड़ रूपए एवं उससे अधिक की मंजूरी दी जा सके।
6. *गैर पारंपरिक उत्पादन परियोजनाओं के लिए आवधिक ऋणों के संबंध में ब्याज दर वही रहेगी जो उपर्युक्त क्रमांक (1) में दिए गए अनुसार पारंपरिक उत्पादन - वृहत श्रेणी के लिए लागू है।
7. जैसा ऊपर बताया गया है, प्राइवेट क्षेत्र के उधारकर्ता ग्रेड -I,II,III, IV एवं V, का आधार आरईसी की आंतरिक संवर्गीकरण/ग्रेडिंग प्रणाली है।
8. जैसा उक्पर बताया गया है,, राज्य क्षेत्र के उधारकर्ताओं के संबंध में रेटिंग 'एउ ' , ' ए ' , 'बी ' , 'सी ' , का आधार आरईसी की आंतरिक ग्रेडिंग प्रणाली है।
9. राज्य क्षेत्र श्रेणी ' सी ' उधारकर्ताओं के लिए लागू की जाने योग्य ब्याज दरें राज्य क्षेत्र श्रेणी 'ए ' उधारकर्ताओं के लिए लागू दरों से 0.50औ अधिक होंगी।
10. भविष्य में मंजूर किए जाने वाले पारेषण एवं वितरण स्कीमों के ऋणों के संबंध में लागू की जाने योग्य ब्याज दरों पर 25 बीपीएस की वाल्यूम छूट दी जा सकती है, बशर्ते कि इन स्कीमों के अंतर्गत किया जाने वाला संवितरण निर्धारित अवधि के अंदर लक्षित राशि तक पहुंच जाता है। डिस्कॉम और ट्रांसको के मामले मे ्िछूट देने के लिए न्यूनतम संवितरण राशि 700 करोड़ रूपए समझी जाएगी और एकीकृत रा.बि.बो. के लिए पारेषण एवं वितरण स्कीमों के संयुव्त संवितरण के लिए 1000 करोड़ रूपए समझी जाएगी। इस प्रयोजन के लिए उधारकर्ताओं को आरईसी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिसमें एम ओ यू हस्ताक्षर होने की तारीख से ढ़ाई वर्ष की अवधि के अंदर अपेक्षित राशि आहरण करने का वचन देना होगा । आरईसी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने के बाद स्वीकृत पारेषण एवं वितरण ऋणों को ही इस नीति के अंतर्गत लाभ लेने का पात्र माना जाएगा। इस नीति के अधीन दी जाने वाली छूट यथास्थिति 700 करोड़/1000 करोड़ रूपए का आहरण किए जाने पर अथवा उसके देय ब्याज पर ही उधारकर्ताओं को दी जाएगी। निधानरित अवधि के दौरान किए गए कुल संवितरण पर लागू दर से इसे वापिस किए जाने तक 25 बीपीएस की छूट दी जाएगी ।
11. पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं/स्कीमों के लिए विद्यमान ब्याज दरों पर 25 बीपीएस की सामान्य छूट हमारी विद्यमान ऋण नीति परिपत्र सं. सेक-1/8(1)/2006/342 दिनांक 27 नवंबर, 2006 और सं. सेक 1/8(1)2008/1165 दिनांक 9 जून, 2008 के अनुरूप केवल पूर्वोत्तर राज्यों पर लागू है और विद्युत मंत्रालय द्वारा समय समय पर अनुबंधित सुधार शर्तों का अनुपालन करने पर 25 वीपीएस की अतिरिक्त छूट होगी ।
12. अ[illegible] केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों/राज्य क्षेत्र के उधारकर्ताओं/केंद्रीय क्षेत्र के उधारकर्ताओं द्वारा अपने बीच बनाए जा रहे संयुक्त उद्यम के मामले में, ऐसे संयुक्त उद्यम एनटिटि के लिए व्याज की लागू दर वही होगी जैसी उक्त संयुक्त उद्यम में 51औ अथवा इससे अधिक इक्विटी धारित एनटिटी पर लागू है।
13. उत्पादन परियोजनाओं के मामले में, यदि वहां सरकारी क्षेत्र के एनटिटि है (अ[illegible] सीपीएसयू/रेटिड राज्य एनटिटि और ट्रिप्पल ए रेटिड कंपनियां) जिनको इस समय रेटिड नहीं किया गया, ऐसे एनटिटियो पर, जब तक उन्हें रेटिंग नहीं दी जाती, जेनको पर लागू ब्याज दरें लागू होंगी।

	लागू नहीं